

विचार बिन्दु

महान ध्येय का मौन में ही सृजन होता है। —साने गुरूजी

स्वास्थ्य सेवाओं में हर कहीं खामियां मिली सीएजी की जांच में

सभी लोगों के लिए उत्तम स्वास्थ्य की व्यवस्था करना किसी भी कल्याणकारी शासन की प्रमुख जिम्मेवारी होती है। स्वास्थ्य राज्य के मूलभूत दायित्वों में शामिल है। नागरिकों के स्वस्थ रहने का अधिकार न केवल उनकी व्यक्तिगत भलाई से जुड़ा है बल्कि यह राष्ट्र की प्रतिि, उत्पादकता और सामाजिक स्थिरता के लिए भी अनिवार्य है।लेकिन अब स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं जिस प्रकार बाजार के हवाले की जा रही हैं वह चिंताजनक है। हालांकि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने जिस प्रकार स्वतंत्रता, समानता और न्याय को नागरिकों के मौलिक अधिकार बनाया उसी तरह स्वास्थ्य को संविधान में सीधे तौर पर मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं किया, लेकिन उन्होंने इसे राज्य की जिम्मेदारी और नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में प्रमुखता दी। बाद में सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न व्याख्याओं से स्वास्थ्य का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में जरूर प्रतिष्ठित हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने बार–बार यह व्याख्या की है कि ‘जीवन का अधिकार’ केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है। गरिमापूर्ण जीवन का अर्थ है कि नागरिकों को न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छ पर्यावरण और सर्वसुलभ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हों। मगर यह अब राज्य के लिए खुद करना दुरूह होता जा रहा है।

संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के साठ अनुच्छेद 39(इ) और 39(एफ) में राज्य को यह निर्देश देते हैं कि अ्रमिकों और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा की जाए और बच्चों की स्वस्थ वातावरण मिले। अनुच्छेद 42 में मातृत्व और प्रसूति संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी मानी गई है। अनुच्छेद 47 में स्पष्ट प्राधान्य है है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाए तथा जनस्वास्थ्य में सुधार करे।याने संविधान ने स्वास्थ्य को नीति निर्देशक सिद्धांतों में डालकर इसे राज्य का दायित्व तो बनाया, लेकिन न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से लागू करने योग्य अधिकार नहीं माना। आज व्यावहारिक स्थिति बताती है कि राज्य संविधान निर्देशित इस जिम्मेदारी को पूरी तरह नहीं निभा पा रहा है। योजनाएं तो बनती हैं, लेकिन अकर्मण्य कार्यपालिका उनका प्रभावी क्रियान्वयन करने में असफल रहती है। राज्य सरकार की इस असफलता की सच्चाई राज्य के वित्त प्रबंधन पर निगाह रखने वाली संवैधानिक संस्था भारत के निर्यक्त एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की नई रिपोर्ट में भी खुल कर सामने आई है।

स्वास्थ्य मानव विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक और आर्थिक एवं सामाजिक विकास का एक आधारभूत घटक है। नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य के ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावी प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। लेकिन सीएजी की इस नमूना जांच में सामने आया है कि प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में डॉक्टरों, विशेषज्ञों, नर्सों और पैरामेडिक्स की कमी है, सरकारी चिकित्सा संस्थानों के आईपीडी में सामान्य शल्य चिकित्सा, बाल रोग, अस्थि रोग और दुर्घटना एवं टॉमा वार्ड जैसी आवश्यक न्यूनतम सुनिश्चित सेवाओं का भी अभावहै, वहां आगतकालीन, गहन चिकित्सा इकाइयां, रक्त बैंकों जैसी सेवाओं में भी कमियां हैं, सरकारी अस्पतालों और जिला औषधि गोदामों में आवश्यक दवाओं की पूरी उपलब्धता नहीं है, चिकित्सा इकाइयों को जारी की गई दवाइयां मांग को गई मात्रा से कम होती हैं, औषधि खरीद के लिए दर अनुबंधों को अंतिम रूप देने में अनावश्यक देरी होती है और क्रय आदेश तब दिए जाते हैं जब बफर स्टॉक निर्धारित बफर स्तर से बहुत नीचे चले जाते हैं, प्रयोगशालाओं से गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्टें देरी से मिलती हैं, गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट के बिनाही स्थानीय स्तर पर दवाइयां खरीद ली जाती हैं, अमानक गुणवत्ता वाली दवाओं का निर्माण करने वाली फर्में के विरुद्ध कार्रवाई में काफ़ी में शिथिलता होती है और सरकारी संस्थानों में में विभिन्न श्रेणियों में भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस) के अनुरार आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं है। लेखा परीक्षा में राज्य के सरकारी चिकित्सा संस्थानों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग–अलग शौचालय, बिजली और पीने योग्य पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान तक में कमियां पाई गईं। सीएजी की रिपोर्ट में यह चिंताजनक जानकारी भी सामने आई है कि राज्य के रोगिस्तानों, आदिवासी और मैदानी इलाकों में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे की कमी है और राज्य सरकार के पास इस कमी को दूर करने और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के लिए कमी वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की कोई ठोस योजना नहीं है।

स्वास्थ्य मानव विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक और आर्थिक एवं सामाजिक विकास का एक आधारभूत घटक है। नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य के ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावी प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। लेकिन सीएजी की इस नमूना जांच में सामने आया है कि प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में डॉक्टरों, विशेषज्ञों, नर्सों और पैरामेडिक्स की कमी है।

प्रावधानों के अनुरूप नियमित रूप से विधान सभा के पटल पर रखी जाती है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव इस विधिकता और स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं। उनकी मदद करने के लिए निर्देशक (जन स्वास्थ्य) है, जो समग्र योजना बनाने और गतिविधियों की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएंडएचओ) और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी (बीसीएमओ) योजनाओं के प्रशासन और कार्यान्वयन में मदद करते हैं। इसी प्रकार प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा विभाग (डीएमई) के प्रशासनिक प्रमुख हैं और आयुक्त (डीएमई) उनकी सहायता करते हैं, जो सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों की गतिविधियों की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। कॉलेजों के प्रधानाचार्य और निर्यंत्रक (पी एंड सी) संस्थानों के प्रमुख हैं और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध राज्येक अस्पताल एक अधीक्षक के प्रभार में कार्य करता है।सभी को मोटा वेटन और साथ में अनेक सुविधाएं मिलती हैं। मगर वे जो परिणाम देते हैं उसकी पोल सीएजी की उस रिपोर्ट में खुलती है मगर किसी का बाल भी बांका नहीं होता।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ने 2025 तक समथबद्ध तरीके से सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाता का प्रस्ताव किया था। इसके अलावाप्राय:क स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च को राज्य के बजट के 8 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ाने की भी परिकल्पना की गई है। लेकिन हम पाते हैं कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य व्यय1.08 और 1.36 प्रतिशत के बीच ही रहा, जो दर्शाता है कि 2.5 प्रतिशत का लक्ष्य इस वर्ष तक प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं है। इसी प्रकार, कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य व्यय 8 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले 5.25 और 6.95 प्रतिशत के बीच रहा है। सीएजी की रिपोर्ट यह चिंताजनक आंकड़ा भी देती है कि राज्य में स्वीकृत पदों की संख्या 22,018 के मुकाबले 15,121 चिकित्सक ही उपलब्ध थे। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया है कि राजस्थान सरकार के पास स्वास्थ्य क्षेत्र में भर्ती और स्टाफिंग के लिए कोई दीर्घकालिक योजना नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय है और राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) की तर्ज पर अपनी नीतियाँ बनाएं। लेकिन लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने 2016-17 से 2021-22 तक स्वास्थ्य नीति नहीं बनाई है।

लेखापरीक्षा ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उपलब्ध धन की निरंतर बचत और अपर्याप्त उपयोग भी पाया है, जो विभागों में अप्रभावी नियंत्रण का संकेत है। 2016-17 से 2021-22 तक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के कुल बजट 77,246.20 करोड़ रुपये में से, व्यय 71,188.81 करोड़ रुपये ही था। 2016-17 से 2021-22 के दौरान स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में पूंजीगत मद में 1,079.11 करोड़ रुपये (18.52 प्रतिशत) और राजस्व मद में 4,978.28 करोड़ रुपये (7 प्रतिशत) की कुल बचत हुई। अर्थात सरकार ने बजट में जितना धन रखा वह पूरा खर्च नहीं हुआ क्योंकि प्रशासनिक तंत्र अपनी जिम्मेवारी से लापरवाह रहा। संवैधानिक संस्था को यह रिपोर्ट बताती है कि राज्य का काम जमीनी स्तर पर ठोस परिणामों में नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत मामला नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय प्रश्न है। यह क्योंकि राज्यों का विषय है इसलिए इसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार पर अधिक होती है जो राज्य विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सीएजी की रिपोर्ट विधान सभा के पटल पर रखी जाती है और अपेक्षा की जाती है कि निर्वाचित प्रतिनिधि इसे पढ़ कर उसमें बताई गई खामियों को ठीक करने के लिए आवाज उठा कर सरकार को सक्रिय कदम उठाने के लिए मजबूर करेंगे। लेकिन अनुभव बताता है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास उन्मादी राजनीति करने के अलावा और किसी में रुचि नहीं होती है। आमजन से जुड़े स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन में खम ठोकने वाले निर्वाचित प्रतिनिधि कभी गंभीर विमर्श नहीं करते। भारत विश्व शक्ति बनने का सपना देख रहा है। यह सपना पूरी साकार हो सकता है जब उसका नागरिक स्वस्थ, सशक्त और सुरक्षित महसूस करे। सार्वजनिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं मौडिया प्रचार में नहीं, बल्कि हर नागरिक के जीवन में दिखनी चाहिए।

—अतिथि संपादक, राजेन्द्र बोड़ा (वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

 राशिफल
बुधवार 24 सितम्बर, 2025
आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि, बुधवार, विक्रम संवत २०८२, चित्रा नक्षत्र सार्य ४:17 तक, ऐंद्रधन योग रात्रि 9:०2 तक, तैत्तिल राक्षस संस्य ५:59 तक, चन्द्रमा आज तुला राशि में संचर्य करेगा।
 ग्रह स्थिति: सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-तुला, मंगल-तुला, बुध-कन्या, गुरु-मिथुन, शुक्र-सिंह, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में। आज राजयोग सार्य ४:17 तक है। रवि योग सार्य ४:17 से आरम्भ होगा। आज से रवि-उलसानि मु. मास ४ आरम्भ होगा।
 श्रेष्ठ चौघण्टिया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:14 तक, शुभ १०:49 से 12:19 तक, चर ३:19 से ४:5८ तक, लाभ ४:5८ से सूर्यास्त तक। राहूकाल: १२:00 से १:३0 तक। सूर्योदय 6:20, सूर्यास्त 6:१9

संपादकीय

बांसवाड़ा में उगोगा सोने का सूरज

शारदीय नवरात्रि की पावन बेला में विकास का महाशिलान्यास करेंगे पीएम मोदी

शक्ति और साधना के प्रतीक शारदीय नवरात्रि की पावन बेला में राजस्थान का जनजाति बहुल दक्षिणांचल नई ऊर्जा और नए विश्वास का साक्षी बनने जा रहा है। देवी त्रिपुरा सुंदरी की दिव्य छत्रछाया, माही माता की जीवनदायिनी धारा, मानगढ़ के गौरवशाली इतिहास और संत मावजी की पवित्र भूमि पर 25 सितंबर का दिन केवल कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि भविष्य के उज्ज्वल अध्याय की शुरुआत बनकर दर्ज होगा। इस दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बांसवाड़ा जिले की छोटी सरवन पंचायत समिति के नापला गांव पहुंचकर १ लाख २२ हजार ४४१ करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के जनजाति बहुल दक्षिणांचल वागड़ में पंडित दीनदत्तलाल उपाध्याय की जननी पर हो रहा यह आयोजन एकात्म मानववाद और अंत्योदय के आदर्शों को नई ऊर्जा देगा, मानो देवी की आराधना और विकास का संकल्प एक साथ साकार हो रहे हों।

राजस्थान सरकार का दूरदर्शी सहयोग :-प्रधानमंत्री की इस ऐतिहासिक यात्रा को सफल बनाने में राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मुख्यमंत्री ने स्वयं नापला गांव और आयोजन स्थल का दौरा कर तैयारियों का गहन निरीक्षण किया। मंच निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, चिकित्सा

सहायता, यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण से लेकर हर व्यवस्था को उच्च स्तर पर सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए। राज्य सरकार ने परियोजना के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृतियां और बुनियादी ढांचे के विकास में त्वरित कार्रवाई कर केंद्र की योजनाओं को गति दी। मुख्यमंत्री ने इसे केवल एक परियोजना नहीं, बल्कि दक्षिण राजस्थान के जनजातीय अंचल को आत्मनिर्भर बनाने का युगांतकारी कदम बताया है।

प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर प्रदेश की दूसरी और देश की महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा परियोजना माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास करेंगे। लगभग ४२,००० करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना २८०० मेगावाट की क्षमता वाली होगी, जिसमें ७००-७०० मेगावाट की चार अत्याधुनिक इकाइयां शामिल हैं। बांसवाड़ा जिले की छोटी सरवन तहसील के आड़ोभीत, बारी, कटुम्बी, सजवानिया और रेल गांवों में बनने वाली यह परियोजना प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिपेक्टर तकनीक पर आधारित होगी, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के बिना स्वच्छ बिजली उत्पादन में सक्षम है। यह परियोजना केवल बिजली का स्रोत नहीं, बल्कि प्रकृति और प्रगति के बीच सामंजस्य का प्रतीक होगी।

ये कार्यक्रम भी हैं प्रस्तावित

राह देख रहे थे। राजस्थान सरकार ने परियोजना से जुड़े स्थानीय रोजगार प्रोत्साहन, कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र और औद्योगिक इकाइयों के विस्तार की योजनाएं भी तैयार की हैं, ताकि बांसवाड़ा के युवाओं को सीधा लाभ मिल सके।

भव्य आयोजन, अप्रतिम उत्साह :-माहीबांध बैकवॉटर की मनमोहक प्राकृतिक छटा के बीच नापला गांव का आयोजन स्थल विकास और आस्था के महाकुंभ में बदल चुका है। प्रधानमंत्री के मंच, वीवीआईपी गैलरी और जनसभा के लिए विशाल डोम और विशेष पंडाल बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियां और राजस्थान की पुलिस की संयुक्त टीमें मुस्तैद हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं बार-बार स्थल का दौरा कर अंतिम तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं। शहर और आयोजन स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। प्रशासन द्वारा आमजन की सुविधा के लिए शटल बस सेवा, पेयजल स्टॉल, चिकित्सा केंद्र और पार्किंग जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। पूरे क्षेत्र में ऐसा उत्साह है मानो यह केवल एक सरकारी आयोजन नहीं, बल्कि पूर्ण जनजातीय अंचल का अपना पर्व हो।

श्रद्धा, संस्कृति और विकास का अद्भुत संघर्ष :-त्रिपुरा सुंदरी की शक्ति, माही माता की पावन धारा और संत मावजी के तपोभूमि की आभा में यह शिलान्यास केवल ऊर्जा

चुनाव आयोग, नेता प्रतिपक्ष व विपक्षी दल तथा सत्ताधारी दल का अनिर्णीत दंगल



महावीर सिंह

अपने देश में शासन व्यवस्था के लिए कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है। अपेक्षा यह होती है कि कानून संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप और संवैधानिक प्रक्रियाओं की पूर्ण पालना करके बने। कानून संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है, इसकी जांच परख करने का,कानून की व्याख्या करने का अधिकार भारत केसर्वोच्च न्यायालय को है। यदि कभी ऐसा लगता है कि जो कानून बना है उस में कोई ऐसी कड़ी और जुड़नी चाहिए जो कानून को पूर्णता प्रदान करे, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है।

सामान्यतः आम जनता यह मानकर चलती है कि संसद द्वारा जनहित में कानून बनाया है। किंतु वास्तव में यह सच नहीं है। संसद में कई बरस का सारा यह है कि संसद राज्य विधान सभाओं के लिए चुनाव निष्पक्ष तरीके से हों, कोई शक की गुंताइश न हो और उसके लिए निष्पक्ष चुनाव आयोग हो। निष्पक्षता से काम के सकने वाले चुनाव आयोग के गठन के लिए, ईमानदार, निष्ठावान, निष्पक्ष चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संसद कानून बनाए । जब तक यह कार्य पूर्ण न हो तब तक की अवधि के लिए प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वाली कमेटी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नाम तय करे।

किंतु जब संसद में कानून बनाया

तो उसमें प्रधान मंत्री, उनके द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री व नेता प्रतिपक्ष को चयन करने वाली कमेटी में रखा। इसका सीधा सा अर्थ है कि जैसा केंद्र सरकार चाहेगी, वैसा ही चुनाव आयोग बनेगा। निष्पक्ष हो भी सकता है अथवा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय सत्ता पक्ष की इच्छानुसार भी ले सकता है।

अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इस चयन समिति में रखा जाता तो देश पर क्या खतरा आ जाता? चलिए मान लेते हैं,कानून बनाना संसद का अधिकार है और भारत का संविधान में न्यायपालिका व संसद के अधिकार क्षेत्र अलग अलग तय किए हुए हैं।इसलिए,सामान्यत तर्क यह दिया गया कि संसद व कार्यपालिका के काम में न्याय पालिका का दखल क्यों हो?? तो फिर, कम से कम ऐसा कानून तो बनाते जिसमें जाहिराना तोर पर तो यह नहीं लगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त यह बनेगा जिसे सरकार चाहेगी व अर्थात सरकार का मर्जी दाना यह ठप्पा लगा चुनाव आयुक्त बनेंगे, तो, चाहे वह पूर्णतः निष्पक्ष, सक्षम, ईमानदार ही क्यों न हो, उसके कार्यों पर शंका करने की गुंजाइश हमेशा रहेगी।

2०२३ में संसद में कानून बनाया “मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त (---) अधिनियम”। कानून में प्रावधान किया की भारत की कोई भी अदालत चुनाव आयुक्तों के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किए गए किसी आधिकारिक कार्य, निर्णय, बयान आदि को लेकर, सिविल या अपराध के लिए उनके जीवनकाल में मामला नहीं ले सकती। चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारीश से ही हटाया जा सकता है।

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल एक विहित प्रक्रिया द्वारा संसद ही हटा सकती है, वैसे ही जैसे किसी उच्च या उच्चतम भी न्यायालय के न्यायाधीश को तो फिर इस प्रकार के कानून की कहाँ आवश्यकता थी? मुझे स्मरण नहीं पड़ता कि कभी किसी चुनाव आयुक्त पर चुनाव से संबंधित किसी कार्य के लिए कोई अपराधिक या सिविल मुकदमा चला हो। २०२३ से पहले ७० साल में ऐसा कानून हवाला प्रार्थना करने देनी की जरूरत क्यों महसूस नहीं हुई?? क्या पहले से अंदेश था कि

जानबूझ कर गलत मतदाता सूचियों के जरिए एक डूधर उधर करने,चुनावी धांधली के मामले उठेंगे और सरकार की मर्जी से नियुक्त चुनाव आयुक्तों के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज हो सकते हैं?? मान लिया, देखा के कारण कोई ऐसा कर सकता है तो यह प्रोटेक्शन चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल तक दिया जाना उचित हो सकता है।किंतु यदि इस बात के प्रथम दृष्टया सबूत हों कि किसी चुनाव आयुक्त के निर्देशों पर कोई गलत निर्णय किया गया तो कार्यकाल समाप्त के बाद मुकदमा क्यों नहीं चलें?? लोक सभा में नेता प्रिथ पक्ष व कुछ अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने ऐसे आरोप लगाए हैं कि मतदाता सूचियों में मनमर्जी से नाम हटाए और जोड़े गए हैं और अब भी ऐसा किया जा रहा है।

आयोग का कहना है ऐसा किया ही नहीं जा सकता।अभी कर्नाटक की एक विधान सभा आलंद के संबंध में प्रेस के समक्ष एक प्रवैटेशन में नेता प्रिथ पक्ष में कहा है कि ऐसा किया गया है। जो कुछ कहा गया उसका सार यह है ----- कि पोलिंग बूथ की वोटर लिस्ट में से कुछ नामों को हटाने की एण्टिकेशन पर के ऑनलाइन, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ख मित की जाती है।एप्लिकेशन सबमिट करने में कुछ मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया। उस मोबाइल फोन पर प्रार्थनापत्र सत्यापन के लिए मेसेज जाता है और फिर उन वोटर का नाम हटाया जाता है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि इस गड़बड़ी का भंडा फूटने पर कर्नाटक चुनाव आयुक्त ने जांच पड़ताल करवाई और पाया कि इस प्रकार के ६ हजार से ऊपर नाम कटवाने के प्रार्थना पत्र दाखिल हुए। जांच में २४ सार्वाप गए और बाकी, वास्तव में संबंधित वोटर्स की जानकारी के बिना दाखिल किए गए। कर्नाटक सरकार की पुलिस की CID शाखा ने एक एफआईआर दर्ज कराई जिसकी जांच चल रही है। आरोप यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यलय से जांच में बांछित सूचनाएं --- ई मेल जिस मेल आईडी से की गई उसका IP एड्स दिया जाए, जिन मोबाइल नंबरों का हवाला प्रार्थना पत्र में दिया वह मोबाइल नंबर नहीं दिया जा रहे। प्रार्थना पत्र के सत्यापन के लिए जिस

कार्यवाही दूरस्थ किसी काल सेंटर से की गई है जिसका संबंधित वोटर को पता ही नहीं अर्थात कोई व्यक्ति किसी दूसरे के नाम को हटवाने के लिए इतनी कार्यवाही तो कर ही सकता है।

इसके पश्चात आता है BLO द्वारा सत्यापन तो जिस प्रकार आवेदन फर्जी तरीके से किया जा सकता है, उसी प्रकार, सत्यापन से संबंधित कार्यवाही बिना वास्तविक मतदाता की जानकारी के क्यों नहीं की जा सकती??? जिस कल सेंटर से आवेदन को कार्यवाही हुई, उस से या दूसरे कल सेंटर से BLO के फर्जी हस्ताक्षरों से सत्यापन रिपोर्ट्स अपलोड कर दीएंगी। सारी प्रक्रिया से सही वोटर व सही BLO को कुछ पता ही नहीं चलेगा।

आयोग से पूछा जा रहा है कि इस फर्जी प्रक्रिया में जिस जिस सोर्स से मेल आयोग की वेब साइट पर अपलोड हुए और जहां जहां आयोग से मेल गए उन के ओरिजिन व डेस्टिनेशन के एड्रेस व जहां जहां आयोग से छ्ड़ गए उनकी पूरी ट्रेल

परियोजना का आरंभ नहीं, बल्कि विकास और संस्कृति के अद्वितीय संगम का साक्ष्य है। नवरात्रि की आराधना जहां शक्ति और संरक्षण का संदेश देती है, वहीं यह परियोजना हरित ऊर्जा और सतत विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर को राजस्थान को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने वाला ऐतिहासिक पर्व बताते हुए इसे राज्य के उज्ज्वल भविष्य का संकल्प माना है।

भविष्य के उजाले का व्रत :- प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा केवल परियोजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि दक्षिण राजस्थान के लिए एक उज्ज्वल भविष्य का व्रत है। यह संदेश है कि जन श्रद्धा, संकल्प और राज्य-केंद्र की साझी प्रतिबद्धता साथ चलें, तो विकास का हर मार्ग सुगम हो जाता है। माही बांध की लहरों पर गुंजती ऊर्जा क्रांति की यह गाथा राजस्थान की वैश्विक ऊर्जा मानचित्र पर स्थापित करेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ ऊर्जा, रोजगार और आत्मनिर्भरता का नया सूरज लेकर आएगी। यह अवसर हमें याद दिलाता है कि शक्ति की उपासना और विकास का संकल्प जब एक साथ फलीफूल होते हैं, तब इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अध्याय अंकित होते हैं।

डॉ. कमलेश शर्मा अतिरिक्त निदेशक, जनसंपर्क पुलिस मुख्यालय, जयपुर